कार्यालय जिला परिषद कुल्लू जिला कुल्लू हि0 प्र0।

क्र0 सं0 – दिनांक –

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला परिषद कुल्लू का माडल टाउन मनाली में एक गैस्ट हाउस है। इस गैस्ट हाउस में 08 कमरे एक डोरमैटरी टैचड टायलेट, बाथरूम और ग्राउंड फलोर में एक हाल है। इस गैस्ट हाउस में एक्वागार्ड, सी सी टी वी कैमरे तथा सभी कमरों में बैड और 32ईंच की एल ई डी लगाए गए हैं। प्रत्येक कमरे के साथ टायलेट, बाथरूम अटैच है। जिला परिषद ने इस गैस्ट हाउस को तीन वर्षों के लिए नीलामी के माध्यम से किराए पर देने का निर्णय लिया है। इस गैस्ट हाउस को नीलामी के माध्यम से किराए पर देने के लिए दिनांक 06 सितम्बर, 2017 को प्रातः 11:00 बजे जिला परिषद सम्मेलन कक्ष में सार्वजनिक रूप से नीलामी की जाएगी। इस गैस्ट हाउस को किराए पर लेने के लिए इच्छुक व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 04 सितम्बर, 2017 सांय 5:00 बजे तक सचिव जिला परिषद के पास मु0 50000/–रू0 की राशि (बैंक ड्राफट के रूप में) अमानत के तौर पर जमा करना सुनिश्चित करें। इच्छुक बोलीदाता किसी भी कार्य दिवस को समय प्रातः 10 बजे से सांय 05 बजे तक इस गैस्ट हाउस का निरीक्षण कर सकते हैं तथा नीलामी से संबंधित समस्त जानकारी अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के नोटिस बोर्ड या जिला परिषद की वेबसाईट www.zpkullu.com or www.kulluzp.hppanchayat.gov.in पर अवलोकन कर सकते हैं।

नीलामी की शर्तें निम्न प्रकार से हैं –

1. प्रत्येक बोली देने वाले व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने से पूर्व दिनांक 04 सितम्बर,, 2017 तक सचिव जिला परिषद के कार्यालय में मु0 50000/–रू0 की राशि (बैंक ड्राफट के रूप में) अग्रिम जमा करनी होगी। नीलामी में मात्र वही व्यक्ति भाग ले सकेगा जिसने मु0 50000/–रू0 की राशि (बैंक ड्राफट के रूप में) अग्रिम रूप में जमा की होगी । नीलामी प्रक्रिया पूर्ण होने पर जमा अग्रिम राशि वापिस कर दी जाएगी लेकिन जिस व्यक्ति द्वारा सबसे ऊंची बोली दी जाएगी उस व्यक्ति द्वारा जमा अग्रिम राशि को वापिस नहीं किया जाएगा, उस व्यक्ति को मु0 4.50 लाख रू0 राशि इस कार्यालय में नीलामी के दूसरे दिन और जमा करनी होगी इस तरह उस द्वारा इस कार्यालय में जमा राशि मु0 05 लाख रू0 हो जाएगी। इस राशि को किराया अवधि समाप्त होने तक अमानत राशि के रूप में इस कार्यालय में ही जमा रखा जाएगा। किराया अवधि समाप्त होने पर इस राशि को बिना ब्याज के भवन को किराए पर लेने वाले व्यक्ति को वापिस किया जाएगा।
2. जो बोलीदाता गैस्ट हाउस की बोली में सफल रहता है या सबसे उंची बोली बोलता है उसको एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी के साथ बीस रू0 के स्टाम्प पेपर पर एक इकरारनामा करना होगा। यदि इकरारनामा एक सप्ताह के भीतर नहीं किया जाता है तो, अमानत के रूप में जमा राशि मु0 05 लाख रू0 को जब्त कर दिया जाएगा तथा उसे वापिस नहीं किया जाएगा। इसके उपरान्त इस गैस्ट हाउस को द्वितीय बोलीदाता को देने के लिए विचारा जाएगा। द्वितीय बोलीदाता के द्वारा जमा अग्रिम राशि भी एक सप्ताह तक वापिस नहीं की जाएगी क्योंकि यदि प्रथम बोलीदाता जो एक सप्ताह के भीतर जिला परिषद के साथ इकरारनामा नहीं करता है तो द्वितीय बोलीदाता के साथ इकरारनामा

करने के लिए विचारा जाएगा। यदि उचित समझा जाएगा तो द्वितीय बोलीदाता को भी एक सप्ताह का समय दिया जाएगा। यदि द्वितीय बोलीदाता भी एक सप्ताह में जिला परिषद के साथ गैस्ट हाउस को लीज पर लेने के लिए इकरारनामा नहीं करता है तथा मु0 05 लाख रू0 अमानत के रूप में जमा नहीं करता है तो उसके द्वारा जमा अग्रिम राशि को भी जब्त किया जाएगा।

3. बोली मु0 12,00,000/– रू0 (बारह लाख रू0) से शुरू होगी।
4. भवन के किराए की अवधि दिनांक 15 सितम्बर 2017 से 14 सितम्बर, 2020 तक होगी।
5. भवन की किराया अवधि समाप्त होने पर भवन को किराए पर लेने वाले व्यक्ति को जमा अमानत राशि मु0 05 लाख रू0 पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा।
6. अग्रिम राशि मु0 50000/–रू0 (बैंक ड्राफट के रूप में) इस कार्यालय में दिनांक 04 सितम्बर 2017 सांय 5 बजे तक जमा की जा सकती है इसके पश्चात किसी से भी अग्रिम राशि प्राप्त नहीं की जाएगी।
7. गैस्ट हाउस के आठ कमरों में से दो कमरों एक वी आई पी सैट नं0 125 तथा एक अन्य साधारण कमरा नं0 128 इन कमरों का आरक्षण यदि जिला परिषद कार्यालय से प्रत्येक दिन सांय 05 बजे तक विभागीय अधिकारी या जिला परिषद सदस्यों के लिए किया जाता है तो आप उन कमरेां में विभागीय अधिकारी या जिला परिषद सदस्यों को विभाग द्वारा निर्धारित कमरों की दरों पर ठहराने के लिए बाध्य होगा। यदि सांय 05 बजे तक जिला परिषद कार्यालय से इन दो कमरों का आरक्षण नहीं किया जाता है तो पटटेधारक इन दोनों कमरों को अपने स्तर पर किराए पर दे सकता है। विभागीय दरों की प्रति इस नोटिस के साथ तथा जिला परिषद की उपरोक्त दर्शाई गई वैबसाईट पर उपलब्ध है।
8. भवन को किराए पर लेने वाले व्यक्ति को प्रत्येक छः मास का किराया अग्रिम जमा करना होगा। यदि वह छः मास की अवधि बीत जाने से पूर्व आगे आने वाले छः मास का किराया 15 दिनों के भीतर अग्रिम रूप में जमा नहीं करता है तो उसके द्वारा किया गया इकरारनामा रदद समझा जाएगा तथा जमा अमानत राशि मु0 05लाख रू0 वापिस नहीं दी जाएगी और इस स्थिति में उसको गैस्ट हाउस तुरन्त खाली करना होगा।
9. भवन को किराए पर देने की अवधि तीन वर्ष की होगी, परन्तु पटटेधारक के साथ प्रत्येक वर्ष इकरारनामा जो वार्षिक किराया राशि है उस पर दस प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ पुनः किया जाएगा। यदि जिला परिषद सदन या सचिव जिला परिषद गैस्ट हाउस में किराए पर लेने वाले व्यक्ति द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों से खुश नहीं है तो जिला परिषद एक वर्ष के पश्चात इकरारनामा नवीनीकरण के लिए बाध्य नहीं होगी तथा इकरारनामा ऐसी गतिविधियों के चलाए जाने पर कभी भी समाप्त किया जा सकेगा। इसका अधिकार सचिव जिला परिषद को होगा।
10. जिला परिषद की ओर से सचिव जिला परिषद या सचिव जिला परिषद की ओर से अधिकृत कर्मचारी पूर्ण रूप से गैस्ट हाउस के निरीक्षण के लिए अधिकृत होंगे।

11. यदि भवन को किराए पर लेने वाले व्यक्ति द्वारा तीन वर्षों से पूर्व ही गैस्ट हाउस को खाली करता है उस दशा में उस द्वारा अग्रिम जमा अमानत व किराया राशि वापिस नहीं की जाएगी।
12. गैस्ट हाउस को किराए पर देने संबंधी इकरारनामा करने से पूर्व गैस्ट हाउस में पड़े सामान की एक सूची किराएदार को सौंपी जाएगी। किराया अवधि समाप्त होने पर यह सामान ठीक अवस्था में वापिस जमा करना होगा। यदि पाया जाता है कि सामान या भवन का नुकसान व टूट फूट हुई है तो इसकी क्षतिपूर्ति किराएदार द्वारा जमा अमानत राशि में से की जाएगी। इसके लिए सचिव जिला परिषद या सचिव जिला परिषद की ओर से अधिकृत कर्मचारी पूर्ण रूप से अधिकृत होंगे।
13. भवन को किराया पर लेने वाला व्यक्ति किसी भी तरह का अवैध कार्य गैस्ट हाउस में नहीं करेगा तथा किसी भी वैध कार्य करने के लिए गैस्ट हाउस में किसी भी तरह की तोड़फोड़ या तबदीली नहीं करेगा। यदि वह अपना काम शुरू करने हेतू गैस्ट हाउस में किसी भी तरह का कुछ बदलाव करना चाहता है तो उसकी अनुमति इस कार्यालय से लेनी आवश्यक होगी।
14. भवन को किराए पर लेना वाला व्यक्ति भवन में किसी भी तरह अवैध कार्य, धूम्रपान, मदिरापान व अन्य किसी भी तरह नशा करवाने के लिए अधिकृत नहीं हेागा।
15. भवन को किराया पर लेने वाले व्यक्ति को गैस्ट हाउस को आगे किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर देने (सबलैट) का अधिकार नहीं है यदि वह ऐसा करता है तो उस स्थिति में उसे इस गैस्ट हाउस से बेदखल किया जा सकेगा तथा जमा अमानत राशि जब्त की जाएगी।
16. भवन को किराया पर लेने वाला व्यक्ति गैस्ट हाउस के किसी भी भाग जैसे बिजली की फिटिंग खिड़की के शीशे, या किसी अन्य चीज को नुकसान पहुंचाता है तो उसको वह नुकसान पूरा करना हेागा तथा वह नुकसान राजस्व के बकाया की सूरत में या प्रतिभूति से जैसा पंचायत भवन कमेटी या अधोहस्ताक्षरी उचित समझे से वसूल होगा।
17. गैस्ट हाउस को किसी ऐसे व्यापार में प्रयोग नहीं किया जाएगा जिस चीज को जल्दी आग लग जाती हो या शीघ्र जलने वाला पदार्थ हो।
18. किराया अवधि समाप्त होने पर गैस्ट हाउस और उसमें रखे गए सामान में किसी भी तरह की टूट–फूट पाई जाती है उसके लिए वह (किराए पर लेने वाला व्यक्ति) उतरदायी होगा। ऐसा करने पर इसकी कटौती उसके द्वारा जमा की गई अमानत राशि में से की जाएगी यदि इस क्षतिपूर्ति के लिए जमा अमानत राशि कम पड़ती है तो उस स्थिति में उसको शेष राशि चैक के रूप में जमा करनी पड़ेगी।
19. गैस्ट हाउस के बिजली व पानी के बिलों और वहां की नगरपालिका/नगरपरिषद द्वारा जो अन्य कर अधिरोपित किए जाते हैं, का भुगतान भवन को किराए पर लेन वाले व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।
20. नीलामी के उपरान्त गैस्ट हाउस के संचालन हेतू जिन – 2 विभागों से जो औपचारिकताएं पूर्ण की जानी हैं या अनुमति प्राप्त करनी है वे सारी औपचारिकताएं या अनुमति बोलीदाता द्वारा स्वयं पूर्ण की जाएंगी।

21. किराया अवधि के बारे किसी किस्म के झगड़े के नियन्त्रण का अधिकार अध्यक्ष नीलामी कमेटी को होगा।
22. नीलामी के दौरान किसी झगड़े का निपटारा मध्यस्थ द्वारा किया जाएगा जो उपायुक्त कुल्लू द्वारा नियुक्त किया जाएगा और उनका निर्णय अन्तिम होगा।
23. भवन को किराया पर लेने वाले व्यक्ति को वह समस्त कर देने होंगे जो म्युनिसिपल एक्ट या अन्य कानून के अधीन लगे हों या आगे लगेंगे जिसका समायोजन किराए में नहीं किया जाएगा और न ही यह राशि इस कार्यालय द्वारा उसको वापिस की जाएगी।
24. किराया अवधि तीन वर्ष पूर्ण होने पर इस गैस्ट हाउस को रंग रोगन करके जिला परिषद के सुपुर्द करना होगा।
25. अन्तिम बोली स्वीकृत करने का अधिकार नीलामी कमेटी के पास सुरक्षित रहेगा।
26. यदि नीलामी के लिए बोली दाताओं की संख्या जो नीलामी कमेटी उचित समझे नहीं होगी तो नीलामी जनहित में स्थगित की जा सकती है।
27. नीलामी कमेटी को नीलामी की कोई भी शर्त नीलामी से पूर्व जनहित में बदलने का पूर्ण अधिकार होगा।
28. इकरारनामा करते समय पंचायत भवन कमेटी या जिला परिषद सदन और अध्यक्ष नीलामी कमेटी की अनुमति से इकरारनामे की शर्तों में बदलाव या अन्य शर्तें भी सम्मिलित की जा सकती हैं।

-Sd-
सचिव
जिला परिषद कुल्लू
जिला कुल्लू हि0 प्र0